

31 अक्टूबर-2025

तहसील-बरसी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

ग्राम पंचायत-अमरपुरा दिनांक-3/10/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक:-3/10/2025

क्रमांक:-भू.अ./2025/12

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अमरपुत्री बोर पिता/पति श्री गोगाराज बोर निवासी पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में अमरपुत्री बोर पिता/पति श्री गोगाराज बोर जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम अमरपुत्री बोर पिता/पति श्री गोगाराज बोर दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम अमरपुत्री बोर पिता/पति श्री गोगाराज बोर का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

PH
तहसीलदार (भू.अ.)
बरसी
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक:-4/10/2025

क्रमांक:-रीडर/2025/713

निमित्त,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री अमरपुत्री बोर पिता/पति श्री गोगाराज बोर राजस्व अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 8 में जाति/नाम अमरपुत्री बोर पिता/पति श्री गोगाराज बोर दर्ज हैं। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अमरपुत्री बोर पिता/पति श्री गोगाराज बोर की जाति/नाम अमरपुत्री बोर पिता/पति श्री गोगाराज बोर एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

सेवामें,

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

12 12

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री अगवानी वाई पिता/पति श्री गोगाराम रेगा

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री अगवानी वाई पिता/पति श्री गोगाराम रेगा
निवास पालख क/की हुं/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अरुपुरा में खाता संख्या 8 किता 10 रकबा 3-4 है। भूमि दर्ज
रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम अगवानी वाई पिता/पति श्री गोगाराम रेगा दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक
रूप में अगवानी वाई पिता/पति श्री गोगाराम रेगा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम वाई पिता/पति श्री

के बजाय रेगा पिता/पति श्री

दर्ज करवाने की कृपा करावे।
दिनांक 3/10/2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

अगवानी वाई

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अगवानी वाई पिता/पति श्री गोगाराम वाई निवासी पालख के राजस्व ग्राम अरुपुरा पटवार
हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप
में अगवानी वाई पिता/पति श्री गोगाराम रेगा दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते है। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम
एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी
अरुपुरा
पटवारी

पटवार मण्डल अरुपुरा
तह बरसी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर
03.10.25